



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 26 दिसम्बर, 2014

पौष 5, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1527/79-वि-1-14-1(क)-9-2014

लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2014)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(2) धारा 2 के खण्ड (ग) का उपखण्ड (एक), धारा 7 एवं धारा 10 दिनांक 01 जनवरी, 2008 से प्रभावी मानी जायेगी एवं अवशेष उपबन्ध दिनांक 26 मई, 2014 से प्रभावी होंगे।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
5 सन् 2008 की
धारा 2 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा, की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (ड) में, उपखण्ड (तीन) के पश्चात् निम्न उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

“(चार) कारबार बन्द होने के पश्चात् किया गया संव्यवहार, यदि ऐसे माल के विक्रय से संबंधित है, जिन्हें उस अवधि में अर्जित किया गया हो जबकि कारबार चल रहा था।”

(ख) खण्ड (ज) के उपखण्ड (नौ) के स्थान पर निम्न उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

“(नौ) रेल आधान संविदाकार, वायु जहाजी माल संचालक (एयर कार्गो आपरेटर), कूरियर सर्विस प्रोवाइडर, जो पारेषक या पारेषिती का नाम एवं पूरा पता प्रकट करने में विफल होता है या पारेषक या पारेषिती का ऐसा प्रकटित नाम या पता मिथ्या, कूटस्थित या असत्यापनीय पाया जाता है, या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी, जिसने प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन हेतु प्राधिकार-पत्र प्राप्त किया है परन्तु निर्गमन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को सौंपने में असफल रहा हो या धारा 52 के अधीन यथा उपबन्धित दस्तावेज रखने में और यथाविहित प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल रहता है।”

(ग) खण्ड (कछ) में,—

(एक) उप खण्ड (एक) में शब्द “विक्रय आवर्त” के स्थान पर शब्द “विक्रय या क्रय या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के आवर्त” रख दिए जायेंगे।

(दो) उप खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

“(चार) धारा 3-ख के अधीन उद्ग्रहणीय उपकरण की धनराशि।”

धारा 3 का
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) सारिणी में, क्रमांक 8 में, स्तम्भ-2 में, उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

“(एक) रेल आधान संविदाकार, वायु जहाजी माल संचालक, कूरियर सर्विस प्रोवाइडर जो पारेषक या पारेषिती का नाम एवं पूरा पता उद्घाटित करने में विफल हो जाए अथवा पारेषक या पारेषिती का ऐसा उद्घाटित नाम या पता मिथ्या, छलपूर्ण या पुष्टनीय न पाया जाए या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी जिसने प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है परन्तु निर्गमन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को उसको प्रदान करने में विफल रहा हो, या धारा 52 के अधीन यथा उपबन्धित दस्तावेज रखने में और यथाविहित प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल रहता है।”

(ख) स्पष्टीकरण (1) में शब्द और अंक “उपधारा (5)” के स्थान पर शब्द और अंक “उपधारा (4)” रख दिये जायेंगे।

धारा 3-क का
संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 3-क में,—

(क) उपधारा (2) के खण्ड (ख) को निकाल दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (5) को निकाल दिया जायेगा।

5-धारा 3-क के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

नई धारा 3-ख का बढ़ाया जाना

"3-ख (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के प्रतिकूल होते उपकर का हुए भी, किन्तु उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उद्ग्रहण अधीन कर के भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यवहारी इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त पेट्रोल या डीजल या दोनों की बिक्री पर पौंच रुपये प्रति लीटर से अनधिक दर पर तथा बिक्री के ऐसे बिन्दु पर जिसे राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, उपकर के भुगतान का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन उपकर का उद्ग्रहण एवं भुगतान केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए या ऐसी रीति से किया जाएगा जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो।"

6-मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) में, द्वितीय परन्तुक हटा दिया जायेगा।

धारा 4 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

धारा 6 का संशोधन

"(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी लेकिन इस धारा के अन्य उपबन्धों और राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे कर के बदले में जो व्यवहारी द्वारा ऐसे माल के या माल के वर्ग के संबंध में और ऐसी अवधि के लिए जिस पर सहमति हुई हो, इस अधिनियम के अधीन देय हो सकती है, या तो एक मुश्त या विक्रय या क्रय या दोनों जैसी भी स्थिति हो, के आवर्त पर सहमत दर पर समाधान राशि स्वीकार करने के लिए सहमत हो सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि संकर्म संविदा का निष्पादन करने वाले व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी जो राज्य के भीतर पंजीकृत व्यवहारी से माल क्रय करने के पश्चात् राज्य के भीतर माल के पुनः विक्रय का एकमात्र कारबार करता है और किसी कर निर्धारण वर्ष में जिसका ऐसे माल के विक्रय का आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक न होता हो, या उसका आवर्त कर निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक न हुआ है, तो राज्य सरकार ऐसे माल के विक्रय पर दर प्रतिशत अधिसूचित कर सकती है। विभिन्न मालों के लिए विभिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती हैं :

प्रतिबन्ध यह और भी है कि कर की दर में कोई परिवर्तन, जो ऐसी सहमति के दिनांक के पश्चात् प्रवृत्त हो सकता है, एकमुश्त या कर निर्धारण की अवधि के उस भाग के संबंध में, जबकि परिवर्तित दर प्रवृत्त रहे, सहमत दर से समानुपाती परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप होगा।"

8-मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी,

नई धारा 8-क का बढ़ाया जाना

अर्थात्:-

"8-क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के प्रतिकूल होते प्रमाण पत्र या हुए भी और धारा 54 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना घोषणा पत्र के कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबन्धों या नियमों या उसके गलत या मिथ्या अधीन निर्गत अधिसूचना के अधीन निर्धारित मिथ्या या गलत उपयोग पर दायित्व प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र दूसरे व्यक्ति को जारी करता है जिसके कारण इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति, क्रय या विक्रय पर उद्ग्रहणीय कर उद्ग्रहणीय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर उद्ग्रहणीय रह जाता है, उस धनराशि के भुगतान करने का दायी होगा जो यथास्थिति, ऐसे क्रय या विक्रय पर कर के रूप में देय होती, यदि ऐसा प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र जारी नहीं किया गया होता :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन देय धनराशि के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जायेगा और न ही अनुमन्य होगा।

स्पष्टीकरण : जहाँ प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र जारी करने वाला व्यक्ति क्रय किए गए माल का उपयोग ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए कोई कर देय न होगा या रियायती दर से देय होगा, से भिन्न प्रयोजन के लिए करे तो प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र को इस धारा के प्रयोजन के लिए गलत समझा जाएगा।

धारा 13 का
संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(क) उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

“(11) जहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि इनपुट टैक्स की धनराशि या इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि असत्य है या विश्वास के योग्य नहीं है, वहाँ ऐसे व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् और ऐसी जाँच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् वह लिखित रूप से आदेश करके यथास्थिति, इनपुट टैक्स की धनराशि या इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का अवधारण कर सकता है।”

(ख) उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

“(12) जहाँ इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के कारण या कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा किये गये कर निर्धारण सम्बन्धी सर्वोत्तम न्याय की दशा में खरीद के बढ़ाये गये आवर्त पर उद्ग्रहीत कर के जमा किए जाने से या अन्यथा, इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि परिवर्तित हो जाती है, वहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब को तदनुसार संशोधित कर दिया जायेगा।”

धारा 17 का
संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (14) में, स्पष्टीकरण (दो) में,—

(क) उपखण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

“(घ) कारबार का स्वामी है और ऐसा कारबार ऐसे स्वामी के अक्षम होने या मृत्यु हो जाने के कारण उसके मालिक के उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों द्वारा चलाया जाता है।”

(ख) शब्द “ऐसे साझेदारी कारबार के भागीदार” के स्थान पर शब्द “ऐसे साझेदारी कारबार के भागीदार या उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारीगण, जैसी भी स्थिति हो” रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का
संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

“प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी व्यापारी का सकल आवर्त पच्चीस लाख रुपये से या ऐसी अधिक धनराशि जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, से अधिक नहीं है, वहाँ कमिश्नर ऐसे व्यापारियों की लेखाबहियों या अभिलेखों का परीक्षण करके वार्षिक कर निर्धारण के लिए व्यापारियों को चयनित करने के लिए मानक एवं रूपान्तरकता अवधारित करेंगे।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि धारा 28 में निहित किसी बात के होते हुए भी प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन चयनित न किए गए व्यापारी कर निर्धारण वर्ष, जिसमें समेकित विवरणों के अनुलग्नक को दाखिल करने का निर्धारित दिनांक पड़ता है, के उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष के अन्तिम दिनांक को कर निर्धारित किये गये माने जायेंगे।”

धारा 29 का
संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (12) में, शब्द एवं अंक “धारा 28 में यथाविहित” के स्थान पर शब्द “इस धारा में यथा उपबन्धित” रख दिये जायेंगे।

धारा 33 का
संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 33 में उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, किसी कर अवधि या कर निर्धारण वर्ष के लिए स्वीकृत रूप से देय कर की गणना धारा 15 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी और उसमें धारा 8-क के अधीन देय धनराशि सम्मिलित होगी।”

14-मूल अधिनियम की धारा 42 में, उपधारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा धारा 42 का संशोधन

“(15) (क) कमिशनर हकदारी प्रमाण पत्र को आदेश द्वारा, करमुक्ति या कर की दर में कमी की अवधि के समाप्त होने के पूर्व अथवा पश्चात्, संशोधित या निरस्त कर सकता है, यदि यह पाया जाता है कि-

(1) कर की छूट अथवा कर की दर में कमी के स्थान पर वापसी की सुविधा का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया गया है जिसके फलस्वरूप गलत धनराशि की वापसी हो गयी हो;

(2) पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन कर की छूट अथवा कर की दर में कमी के परिप्रेक्ष्य में जारी पात्रता प्रमाण पत्र को सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा रद्द अथवा संशोधित कर दिया गया हो;

(3) हकदारी प्रमाण पत्र को दुर्व्यपदेशन के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया हो;

प्रतिबन्ध यह है कि हकदारी प्रमाण-पत्र को व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना संशोधित अथवा रद्द नहीं किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन पारित आदेश इसमें विनिर्दिष्ट दिनांक से प्रभावी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन पारित कोई आदेश उन घटनाओं के घटित होने के पूर्व के दिनांक से प्रभावी नहीं होगा जिनके कारण हकदारी प्रमाण-पत्र को संशोधित या निरस्त किया गया है।

(ग) धारा 57 एवं धारा 58 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खण्ड (क) में पारित आदेश अन्तिम होगा।”

15-मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (5) में शब्द “ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक” के स्थान पर शब्द “ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक अथवा ऐसे माल के मूल्य पर इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, जो भी अधिक हो” रख दिये जायेंगे। धारा 48 का संशोधन

16-मूल अधिनियम की धारा 50 में,-

धारा 50 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में,-

(एक) खण्ड (क) में, शब्द “ऐसे घोषणा पत्र या दस्तावेज, जैसे विहित किये जाय, अपने साथ रखेगा” के स्थान पर शब्द “ ऐसै सम्यक रूप से भरे हुए घोषणापत्र या दस्तावेज, जैसे विहित किये जायें, अपने साथ रखेगा” रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द “ऐसे प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों, जिन्हें विहित किया जाय, को इसी तरह अपने साथ रखेगा” के स्थान पर शब्द “ऐसे सम्यक रूप से भरे हुए प्रमाण-पत्रों, दस्तावेजों, जिन्हें विहित किया जाय, को इसी तरह अपने साथ रखेगा” रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (4) में शब्द “रोकने” के स्थान पर शब्द “अभिग्रहण” रख दिया जायेगा।

17-मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (1) में, तालिका में,-

धारा 54 का संशोधन

(क) क्रम संख्या 5 एवं 6 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	वृत्ति	शास्ति की धनराशि
(1)	(2)	(3)
5	जहाँ व्यवहारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार- (एक) कर बीजक या विक्रय बीजक जारी करने में विफल हो गया हो या जानबूझकर जारी न किया हो; या	माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

(1)	(2)	(3)
	(दो) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी होते हुए इस अधिनियम के अधीन कर योग्य माल का क्रय करते समय जानबूझकर कर बीजक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से प्राप्त नहीं किया हो;	
	(तीन) क्रय बीजक जारी नहीं किया है ;	
6	व्यवहारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार माल के सम्प्रेषण या परिदान के संबंध में चालान, अन्तरण बीजक या परिवहन में जारी करने में विफल हो गया हो;	माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

(ख) क्रम संख्या 14 एवं 15 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात:-

क्रम सं०	वृत्ति	शास्ति की धनराशि
(1)	(2)	(3)
14	जहां, यथास्थिति व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति— (एक) (क) ऐसा माल; या (ख) ऐसे माल का प्रयोग करके विनिर्मित प्रसंस्कृत या पैक किये गये माल; के विक्रय पर कर संदाय के अपवंचन की दृष्टि से धारा 50 या धारा 51 के अधीन उपबन्धों के उल्लंघन में किसी माल का आयात करता है या आयात करने का प्रयास करता है या उसके आयात का दुष्प्रेरण करता है; या (दो) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कराधेय माल का परिवहन करता है, परिवहन करने का प्रयास करता है;	(क) पंजीकृत व्यवहारी के मामले में— (एक) माल के मूल्य का 15 प्रतिशत, यदि माल अनुसूची-दो अथवा अनुसूची-तीन में वर्णित प्रकार का है; (दो) माल पर उद्ग्रहणीय कर की दर का दोगुना, यदि माल अनुसूची-पाँच में वर्णित प्रकार का है; (तीन) माल के मूल्य पर संदेय कर के बराबर की धनराशि, यदि माल पर कर की दर 40 प्रतिशत से अधिक है; (चार) किसी अन्य मामले में माल के मूल्य का 40 प्रतिशत। (ख) पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति के मामले में, माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो। माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
15	जहां यथास्थिति चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति— (एक) धारा 52 के अधीन निर्दिष्ट दस्तावेजों को साथ रखने में विफल होता है और यह भी प्रमाणित करने में विफल रहता है कि वाहन में रखा माल राज्य के बाहर के व्यवहारियों या व्यक्तियों को परिदत्त करने के लिए है;	

(1)	(2)	(3)
	(दो) राज्य से होकर माल के गुजरने हेतु ऐसे दस्तावेजों के रहते हुए माल को राज्य से बाहर ले जाने के लिए राज्य के अन्दर वास्तविक व्यक्ति को ऐसा माल सौंपने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है किन्तु ऐसे माल को ऐसे वास्तविक व्यक्ति को सौंपने में विफल रहता है, या	
	(तीन) ऐसा व्यक्ति होते हुए, जो चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति से माल राज्य से बाहर ले जाने के लिए प्राप्त करता है, राज्य के बाहर ऐसे माल को नहीं ले जाता है, या	
	(चार) परिवहक या वाहन का भाडेदार होते हुए, राज्य के बाहर माल के मिथ्या गंतव्य स्थल को दर्शाते हुए माल की रसीद तैयार करता हो :	

(ग) क्रमांक 21-ख की प्रविष्टियाँ के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

क्र०सं०	त्रुटि	शास्ति की धनराशि
(1)	(2)	(3)
21-ख	जहां यथास्थिति, व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति ने कर के भुगतान का अपवंचन करने के आशय से सुसंगत समय में स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां संव्यवहार हुआ है, में प्रचलित माल के मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक की सीमा तक माल का अवमूल्यन करते हुए यथास्थिति, कोई कर बीजक या विक्रय बीजक या माल मूल्य से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज जारी या प्राप्त किया हो।	माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

18-मूल अधिनियम की धारा 57 में,-

धारा 57 का संशोधन

(क) उपधारा (4) में शब्द और अंक "धारा 42" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 42 की उपधारा (3) और उपधारा (15)" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (12) में, खण्ड (घ) में, शब्द और अंक "धारा 42 के अधीन पारित आदेश" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 42 के अधीन कमिश्नर द्वारा पारित आदेश" रख दिये जायेंगे।

धारा 70 का
संशोधन

19-मूल अधिनियम की धारा 70 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी,

अर्थात् :-

“70-राज्य सरकार इस अधिनियम की किसी अनुसूची की किसी प्रविष्टि में वर्णित वस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी या अनुसूची-पाँच में समाहित वस्तुओं के लिए वस्तु कोड समनुदेशित कर सकती है।”

निरसन और
अपवाद

20-(1) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2014 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 4
सन् 2014

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

माल के विक्रय या क्रय पर कर उद्ग्रहण और संग्रहण के लिये मूल्य-संवर्धित कराधान प्रणाली लागू करने के लिये उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया गया है। कमिश्नर, वाणिज्य कर की संस्तुतियों पर यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके मुख्यतः निम्नलिखित की व्यवस्था की जाय :-

(क) कारबार बन्द होने के पश्चात् भी किये गये संव्यवहार को कारबार की परिभाषा में सम्मिलित करना, यदि वह ऐसे माल के विक्रय से संबंधित है, जिन्हें उस अवधि में अर्जित किया गया हो, जबकि कारबार चल रहा था;

(ख) धारा 52 के अधीन यथा उपबन्धित दस्तावेज रखने में और यथाविहित प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल रहने वाले व्यक्ति को व्यवहारी की परिभाषा में सम्मिलित करना;

(ग) कर की परिभाषा को सुस्पष्ट करना तथा उसमें उपकर को भी सम्मिलित करना;

(घ) अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण दिनांक 28 मई, 2014 के पश्चात् भी जारी रखना;

(ङ) पेट्रोल अथवा डीजल अथवा दोनों पर उपकर का उद्ग्रहण;

(च) किसी व्यवहारी द्वारा प्रमाण-पत्र या घोषणा पत्र के गलत या मिथ्या उपयोग से होने वाली क्षति का निर्धारण/वसूली करना;

(छ) इनपुट टैक्स क्रेडिट को सरल एवं तर्कपरक बनाना;

(ज) किसी कारबार के स्वामी, जिसका कारबार मृत्यु अथवा अक्षम हो जाने के कारण बंद हो गया हो, के उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारीगण द्वारा पंजीकरण कराये जाने की आवश्यकता को समाप्त करना;

(झ) किसी व्यापारी के मामले में जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त पच्चीस लाख रुपये से या ऐसी अधिक धनराशि से, जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय, अधिक नहीं है, वहाँ कमिश्नर को ऐसे व्यापारियों की लेखा बहियों या अभिलेखों का परीक्षण करके वार्षिक कर निर्धारित के लिये व्यापारियों को चयनित करने के लिये और मानक एवं रूपात्मकता अवधारित करने के लिये सशक्त करना;

(अ) कतिपय मामलों में हकदारी प्रमाण-पत्र को संशोधित/निरस्त करने के लिये कमिश्नर को सशक्त करना;

(क) कतिपय मामलों में अर्थदण्ड के प्राविधानों को तर्कसंगत बनाना;

(ट) जैसा भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1984 के अधीन अंगीकरण किया गया है, नाम-पद्धति की सुमेलित प्रणाली के आधार पर वस्तु कोड के आवंटन के उपबन्ध को समाप्त करना;

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 मई, 2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2014) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस० बी० सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1527(2)/LXXIX-V-1-14-1(ka)-9-2014

Dated Lucknow, December 26, 2014

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 01, 2014.

THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT)

ACT, 2014

(U. P. Act no. 23 of 2014)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2014. Short title and commencement

(2) Sub-clause (i) of clause (c) of section 2, section 7 and section 10 shall be deemed to have come into force on January 01, 2008 and the remaining provisions shall come into force on May 26, 2014.

Amendment of
section 2 of
U.P. Act no.5 of
2008

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008, hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) in clause (c) after sub-clause (iii) the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(iv) any transaction, even after the closure of business, if it relates to sale of goods acquired during the period in which business was carried out.”

(b) in clause (h) for sub-clause (ix) the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(ix) a railway container contractor, an air cargo operator, a courier service provider, who fails to disclose the name and complete address of consigner or consignee or if discloses such name or address of consigner or consignee is found bogus, forged or not verifiable; or the owner or person in-charge of a vehicle who obtained authorization for transit of goods from the officer in-charge of entry check post but failed to deliver the same to the officer in-charge of the exit check post or fails to carry such documents as provided under section 52 and follow such procedure as prescribed;”

(c) in clause (ag),-

(i) in sub-clause (i) for the words “turnover of sales” the words “turnover of sales or purchases or both, as the case may be” shall be substituted,

(ii) after sub-clause (iii) the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(iv) the amount of cess leviable under section 3-B.”

Amendment of
section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),-

(a) in the table in serial no.8 in column (2) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(i) A railway container contractor, an air cargo operator, a courier service provider, who fails to disclose the name and complete address of consigner or consignee or if discloses such name or address of consigner or consignee is found bogus, forged or not verifiable; or the owner or person in-charge of a vehicle who obtained authorization for transit of goods from the officer in-charge of entry check post but failed to deliver the same to the officer in-charge of the exit check post or fails to carry such documents as provided under section 52 and follow such procedure as may be prescribed.”

(b) in Explanation (I) for the word and figure “sub-section (5)” the word and figure “sub-section (4)” shall be substituted.

Amendment of
section 3-A

4. In section 3-A of the principal Act,-

(a) in sub-section (2) clause (b) shall be omitted.

(b) sub-section (5) shall be omitted.

Insertion of new
section 3-B

5. After section 3-A the following section shall be inserted, namely :-

“3-B (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act but subject to the provisions of sub-section (2), every dealer liable to pay tax under this Act shall also be liable to pay in addition to the tax payable under any other provision of this Act, a cess on sale of petrol or diesel or both, at such rate not exceeding five rupees per litre and at such point of sale, as may be specified by the State Government by notification in the Gazette.

(2) Cess under sub-section (1) shall be levied and paid only for such purposes as may be notified by the State Government and in the manner specified in such notification."

6. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1) the second proviso shall be *omitted*. Amendment of section 4

7. In section 6 of the principal Act *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely:- Amendment of section 6

"(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, but subject to other provisions of this section and the directions of the State Government, the assessing authority may agree to accept a composition money either in lump sum or at an agreed rate on his turnover of sale or purchase or both as the case may be, in lieu of tax that may be payable under this Act by a dealer in respect of such goods or class of goods and for such period as may be agreed upon:

Provided that in the case of a dealer not being a dealer executing works contract, who carries on exclusive business of re-sale of goods within the State after their purchase from a registered dealer within the State and whose turnover of sale of such goods, for any assessment year, does not exceed fifty lakh rupees or his turnover, for the assessment year preceding that assessment year, has not exceeded fifty lakh rupees, the State Government may notify a rate percent on sale of such goods. Different rates may be notified for different goods:

Provided further that any change in the rate of tax which may come into force after the date of such agreement shall have the effect of making a proportionate change in the lump sum or the rate agreed upon in relation to that part of the period of assessment during which the changed rate remains in force.

8. *After* section 8 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely:- Insertion of new section 8-A

"8-A (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act and without prejudice to the provisions of section 54, a person who issues a false or wrong certificate or declaration, prescribed under any provision of this Act or the rules or the notification issued thereunder, to another person by reason of which a tax leviable under this Act on the purchase or sale as the case may be, ceases to be leviable or becomes leviable at the concessional rate, shall be liable to pay an amount which would have been payable as tax on such purchase or sale as the case may be, had such certificate or declaration not been issued:

Provided that before taking any action under this section the person concerned shall be given an opportunity of being heard."

(2) No input tax credit shall be claimed or allowed in respect of the amount payable under this section.

Explanation: Where a person issuing a certificate or declaration to use the goods purchased for such purpose as will make the tax not leviable or leviable at a concessional rate, but uses the same for a purpose other than such purpose, the certificate or declaration shall, for the purposes of this section, be deemed to be wrong."

9. In section 13 of the principal Act,-

(a) *for* sub-section (11) the following sub-section shall be *substituted*, namely:- Amendment of section 13

"(11) Where it appears to the assessing authority that the amount of input tax or amount of input tax credit is incorrect or is not worthy of credence, it may, after giving reasonable opportunity of being heard to such dealer and after making such inquiry as it may deem fit, determine the amount of input tax or amount of input tax credit, as the case may be, by making an order in writing."

(b) after sub-section (11) the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(12) Where on account of any order passed under this Act or by depositing tax levied on enhanced turnover of purchase in case of best judgement assessment by the assessing authority or otherwise, the amount of input tax credit varies, the account of input tax credit shall be amended accordingly."

Amendment of
section 17

10. In section 17 of the principal Act, in sub-section (14), in Explanation (II),-

(a) after sub-clause (e) the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(f) is proprietor of a business and such business is succeeded by successor or successors of its proprietor on account of disability or death of such proprietor."

(b) for the words "as the case may be, the partners of such partnership business," the words "the partners of such partnership business or successor or successors, as the case may be," shall be substituted.

Amendment of
section 28

11. In section 28 of the principal Act, in sub-section (1) the following provisos shall be inserted at the end, namely:-

"Provided that where the aggregate turnover of any dealer, does not exceed rupees twenty five lakhs or such larger amount as may be determined by the State Government from time to time, in any assessment year, the commissioner shall determine the parameters and modalities to select the dealers for the annual assessment after examining the books of accounts or records of such dealers:

Provided further that notwithstanding anything contained in section 26, the dealer not selected under the first proviso shall be deemed to have been assessed, on the last date of assessment year succeeding the assessment year in which the date of filing of annexures of consolidated details of the assessment year falls."

Amendment of
section 29

12. In section 29 of the principal Act, in sub-section (12) for the words and figures "as prescribed in section 28" the words "as provided in this section" shall be substituted.

Amendment of
section 33

13. In section 33 of the principal Act for the Explanation to sub-section(2), the following Explanation shall be substituted, namely:-

" **Explanation :** For the purposes of this sub-section, the tax admittedly payable for a tax period or an assessment year, as the case may be, shall be computed in accordance with provisions of section 15 and shall include the amount payable under section 8-A. "

Amendment of
section 42

14. In section 42 of the principal Act after sub-section (14) the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(15) (a) The Commissioner may by order amend or cancel the Certificate of Entitlement before or after expiration of period of exemption or reduction in the rate of tax, where it is found that-

(i) facility for refund in lieu of exemption or the reduction in rate of tax has been misused in any manner resulting in wrong amount of refund;

(ii) the eligibility certificate issued or facility of exemption or reduction in rate of tax granted under the erstwhile Act has been cancelled or amended by a competent court or an authority;

(iii) the Certificate of Entitlement has been obtained on the basis of misrepresentation or concealment of fact:

Provided that no Certificate of Entitlement shall be amended or cancelled without affording opportunity of being heard to the dealer.

(b) The order passed under clause (a) shall take effect from the date mentioned in the order:

Provided that no order passed under this sub-section shall take effect before the date of incidence warranting amendment or cancellation of the Certificate of Entitlement.

(c) Subject to the provisions of sections 57 and 58, the order passed under clause (a), shall be final."

15. In section 48 of the principal Act, in sub-section (5) for the words "not exceeding forty percent of the value of such goods" the words "not exceeding forty percent of the value of such goods or tax payable under this Act on the value of such goods, whichever is higher" shall be substituted.

Amendment of
section 48

16. (1) In section 50 of the principal Act,-

Amendment of
section 50

(a) in sub-section (2),-

(i) in clause (a) for the words "carry such declarations or documents as may be prescribed" the words "carry duly filled such declarations or documents as may be prescribed" shall be substituted;

(ii) in clause (b) for the words "likewise carry such certificates and documents as may be prescribed" the words "likewise carry duly filled such certificates and documents as may be prescribed" shall be substituted;

(b) in sub-section (4) for the word "detention" the word "seizure" shall be substituted.

17. In section 54 of the principal Act, in sub-section (1), in the table,-

Amendment of
section 54

(a) for entries at serial nos. 5 and 6 the following entries shall columnwise be substituted, namely:-

Sl. No.	Wrong	Amount of Penalty
(1)	(2)	(3)
5	Where the dealer has,- (i) failed to issue or has deliberately not issued a tax invoice or sale invoice; or (ii) deliberately not obtained tax invoice in spite of being a registered dealer while purchasing the goods liable to tax under this Act from a registered dealer; or (iii) not issued purchase invoice; in accordance with the provisions of this Act.	Tax payable on the value of goods or 40% of the value of goods whichever is higher
6	The dealer has failed to issue a challan, transfer invoice or transport memo in respect of dispatch or delivery of goods in accordance with the provisions of this Act.	Tax payable on the value of goods or 40% of the value of goods whichever is higher

(b) for the entries at serial nos. 14 and 15 the following entries shall columnwise be substituted, namely:-

Sl. No.	Wrong	Amount of Penalty
(1)	(2)	(3)
14	<p>Where the dealer or any other person, as the case may be, -</p> <p>(i) imports or attempts to import or abets the import of any goods, in contravention of the provisions under section 50 or section 51 with a view to evading payment of tax on sale of-</p> <p>(a) such goods; or</p> <p>(b) goods manufactured, processed or packed by using such goods; or</p> <p>(ii) transports, attempts to transport any taxable goods in contravention of any provisions of this Act;</p>	<p>(a) In case of registered dealer,-</p> <p>(i) 15% of the value of goods if goods are of the description as embodied in Schedule-II or Schedule-III ;</p> <p>(ii) twice the rate of tax leviable on the goods if goods are of the description as embodied in Schedule -V ;</p> <p>(iii) an amount equal to tax payable on the value of the goods if the rate of tax on goods exceeds forty percent;</p> <p>(iv) in any other case 40% of the value of the goods.</p> <p>(b) In case of a person other than the registered dealer tax payable on the value of goods or 40% of the value of goods whichever is higher;</p>
15	<p>Where the driver or person in charge of the vehicle, as the case may be,-</p> <p>(i) fails to carry documents referred to in section 52 and also fails to prove that goods carried in his vehicle are meant for delivery to dealers or persons outside the State; or</p> <p>(ii) while carrying such documents for transit of goods through the State undertakes responsibility of handing over such goods to a bona-fide person inside the State for carrying them outside the State but fails to hand over such goods to such bona-fide person; or</p> <p>(iii) being a person, who receives any goods from driver or person in charge of a vehicle for carrying them outside the State, does not carry such goods outside the State; or</p> <p>(iv) being a transporter or hirer of a vehicle prepares goods-receipt by showing false destination of goods outside the State.</p>	<p>Tax payable on the value of goods or 40% of the value of goods whichever is higher</p>

(c) for entries at serial no. 21B the following entries shall columnwise be substituted, namely:-

Sl. no.	Wrong	Amount of Penalty
(1)	(2)	(3)
21B	Where the dealer or any other person, as the case may be, has issued or received any tax invoice or sale invoice or any other document pertaining to value of goods, as the case may be, containing value of goods undervalued to the extent more than fifty percent of the value of goods prevalent at the relevant time in the local market area where the transaction has taken place, with intention to evade payment of tax;	Tax payable on the value of goods or 40% of the value of goods whichever is higher

18. In section 57 of the principal Act,-

Amendment of section 57

(a) in sub-section (4) for the words and figures "section 42" the words and figures "sub-section(3) and sub-section(15) of section 42" shall be substituted;

(b) in sub-section (12), in clause (d) for the words and figures "an order passed under section 42" the words and figures "an order passed by the Commissioner under section 42" shall be substituted.

19. For section 70 of the principal Act the following section shall be substituted, namely:-

Amendment of section 70

"70. The State Government may assign commodity code to each category of commodities whether described in any entry of any Schedule of this Act or embodied in Schedule-V."

Repeal and saving

20. (1) The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2014 is hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 4 of 2014

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action is taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 has been enacted to provide for introducing Value Added System of Taxation for the levy and collection of tax on sale or purchase of goods. On the recommendations of the Commissioner Commercial Taxes it has been decided to amend the said Act, mainly to provide for,-

(a) inclusion in the definition of 'business' any transaction, even after the closure of business, if it relates to sale of goods acquired during the period in which business was carried out;

(b) inclusion of such person in the definition of 'dealer' as has failed to carry such documents as provided under section 52 and follow such procedure as prescribed;

- (c) clarifying the definition of 'tax' and inclusion of Cess therein;
- (d) continuation of levy of Additional Tax even after May 28, 2014;
- (e) levy of Cess on petrol or Diesel or on both;
- (f) assessment/realisation of loss caused by wrong or false use of certificate or declaration by any dealer;
- (g) simplifying and rationalising the input tax credit;
- (h) abolishing the requirement of registration by the successor or successors of a proprietor of a business, whose business had been discontinued due to his death or disability;
- (i) empowering the Commissioner to determine the parameters and modalities to select the dealers for the annual assessment after examining the books of account or records of such dealers, in case of a dealer whose aggregate turnover in any assessment year does not exceed rupees twenty five lakhs or such larger amount as may be determined by the State Government from time to time;
- (j) empowering the Commissioner to amend or cancel the Certificate of Entitlement in certain cases;
- (k) rationalising in certain cases the provision of pecuniary penalty;
- (l) abolishing the provision of allotment of commodity code on the basis of Harmonised System of Nomenclature as adopted by the Government of India under the Central Excise Tariff Act, 1984.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2014 (U.P. Ordinance no. 4 of 2014) was promulgated by the Governor on May 26, 2014.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S. B. SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 772 राजपत्र (हि०)-2014-(1630)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 102 सा० विधा०-2014-(1631)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।